छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1432 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः–18 / 07 / 2025

।। प्रपत्र –दुग्ध महासंघ के विभिन्न संयंत्रों में सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता हेतु सुरक्षा एजेन्सी नियुक्ति हेतु निविदा सूचना।।

सहपत्रों की सूचीः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक	पृष्ठ संख्या
01	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	1	1
02	सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा शेड्यूल	2	1
03	निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी	3–8	6
04	तकनीकी एवं दर प्रस्तुतीकरण प्रपत्र–बी	9–11	3
05	सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध–प्रारूप	12–16	5
06	काली सूची में न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	17	1
07	निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–2)	18	1
	कुल सहपत्र		18

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1432 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः–18 / 07 / 2025

।।सुरक्षा एजेन्सी नियुक्ति हेतु निविदा सूचना।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के विभिन्न डेयरी संयंत्रों जैसे– उरला–दुर्ग, कोनी–बिलासपुर एवं बाबू सेमरा– जगदलपुर में 01 वर्ष की अवधि हेतु सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति / उपलब्ध करानें हेतु सुरक्षा एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित किया जाता है। वांछित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in में उपलब्ध है। निविदा दिनांक–21.08.2025 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबंध संचालक

हरिभूमि

रायपुर मुख्य संस्करण - Page 10

19 July 2025

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम - उरला, पो-बी.एम.वाय. चरौदा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/1432/छगदुमसं/क्रय-प्रशासन/2025 उरला, दिनांक 18/07/2025

// सुरक्षा एजेन्सी नियुक्ति हेतु निविदा सूचना //

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के विभिन्न डेयरी संयंत्रों जैसे- उरला-दुर्ग, कोनी - बिलासपुर एवं बाबू सेमरा- जगदलपुर में 01 वर्ष की अवधि हेतु सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति / उपलब्ध करानें हेतु सुरक्षा एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित किया जाता है। वांछित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in में उपलब्ध है। निविदा दिनांक - 21.08.2025 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबंध संचालक

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1432 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः–18 / 07 / 2025

।। शेड्यूल–सुरक्षा एजेन्सी नियुक्ति हेतु निविदा ।।

01	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाईट **www.cgcoopdairyfed.in** से दिनांक–20.07.2025 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
02	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक–21.08.2025 दोपहर 02.00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जावेंगी :– **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल,** **शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर,** **नगर घड़ी चौंक रायपुर (छ.ग.)** **पिन : 492001**
03	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	**दिनांक–21.08.2025 दोपहर 03.00 बजे** छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम – उरला–बी0एम0वाय0 चरोदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0) पिन : 490025, **स्थान– सभा–कक्ष**
04	निविदा खोलने की प्रक्रिया	➢ सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा ''C'' खोल कर लिफाफा ''A'', ''B'' प्राप्त किया जावेगा। ➢ लिफाफा ''A'' को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज एवं आधार, पैन कार्ड की जॉच की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं सम्पूर्ण दस्तावेज सही होने पर ही भाव पत्र का लिफाफा ''B'' खोला जावेगा।
05	निविदा प्रपत्र शुल्क	1– निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू0 2,000 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित'' (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय संलग्न करना होगा। 2– निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाईट **www.cgcoopdairyfed.in** से डाउनलोड किया जाना होगा।
06	निविदा धरोहर राशि	धरोहर राशि रू0 20,000 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित'' (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय संलग्न करना होगा।

नोट :– निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हे अगले कार्य दिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

1. कार्य का स्वरूप :–

(i) सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला–दुर्ग संयंत्र, दुग्ध संयंत्र कोनी–बिलासपुर एवं दुग्ध संयंत्र–बाबू सेमरा, जगदलपुर के भवन, गोडाउन, कार्यालयीन सम्पत्ति एवं परिसर की दिन–रात राउण्ड–द–क्लाक सुरक्षा व्यवस्था करेगा।

(ii) सुरक्षा व्यवस्था में उरला संयंत्र में 20 सुरक्षा कर्मी, बिलासपुर संयंत्र में 05 सुरक्षा कर्मी एवं दुग्ध संयंत्र–बाबू सेमरा, जगदलपुर में 03 सुरक्षा कर्मी तथा इनके रिलीवरों की आवश्यकता है। विवरण इस प्रकार हैः–

दुग्ध संयंत्र– उरला (दुर्ग), दुग्ध संयंत्र–कोनी (बिलासपुर) एवं दुग्ध संयंत्र–बाबू सेमरा (जगदलपुर)

क्रमांक	सुरक्षा कर्मी का विवरण एवं पद	दुग्ध संयंत्र, उरला	दुग्ध संयंत्र, बिलासपुर	दुग्ध संयंत्र, जगदलपुर	कुल
1	सुरक्षा अधिकारी	01	0	0	01
2	सुरक्षा पर्यवेक्षक	01	01	0	02
3	सुरक्षा गार्ड (महिला)	01	0	0	01
4	सुरक्षा गार्ड (पुरूष)	17	04	03	24
	कुल संख्या	**20**	**05**	**03**	**28**

प्रबंधन द्वारा कार्यो का मूल्यांकन कर स्व–विवेक से संख्या में कटौती/बढ़ोती की जा सकती है।

(iii) सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार राउड–द–क्लाक की जावेगी एवं संभावित होने वाली चोरी, नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अविलम्ब प्रशासन शाखा को दी जायेगी।

2. पात्रता :–

(i) औद्योगिक संस्थान में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

(ii) एजेंसी के पास ऐसे दो ठेके पूर्व/वर्तमान में संचालित हो जिसकी कीमत 25.00 लाख रूपये प्रत्येक अथवा एक ठेका 40.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम न हो इसके समर्थन में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(iii) एजेंसी का वार्षिक टर्न ओवर पिछले 03 वर्षो में प्रतिवर्ष न्यूनतम एक करोड़ रूपये होना आवश्यक है, जिसके समर्थन में पिछले 03 वर्षो का वित्तीय प्रपत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित/अंकेक्षित) संलग्न करना अनिवार्य है।

(iv) एजेंसी पंजीकृत होना आवश्यक है एवं पंजीयन कम से कम 03 वर्ष पूर्व होना आवश्यक अर्थात एजेंसी कम से कम विगत 03 वर्ष से जीवित पंजीयन धारण करता हों अनिवार्य है।

3. कार्य की वैधताः–

(i) सुरक्षा ठेका 01 वर्ष –कार्य आदेश जारी दिनांक से, की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा। प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार इन्ही स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

4. जुर्मानाः–

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा दुग्ध संयंत्रों में केन/क्रेट्स की चोरी न हो, इस हेतु प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को उत्पादन शाखा, मार्केटिंग एवं सुरक्षा अधिकारी, इस प्रकार इन व्यक्तियों की कमेटी रहेगी जो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को संयंत्रों में केन/क्रेट्स का भौतिक सत्यापन करेगी। इसी प्रकार केन/क्रेट्स में जो कमी पायी जाती है उसकी वसूली सुरक्षा एजेंसी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी। इसी प्रकार अन्य सामग्री की क्षति होती है, उसकी वसूली भी सुरक्षा एजेंसी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

(ii) दोनो पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है। परंतु सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दे एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ले अथवा विवेकानुसार शस्ति/क्षतिपूर्ति की वसूली कर ले। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

(iii) सुरक्षा एजेंसी का उत्तदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे फैक्ट्री एक्ट, संविदा श्रमिक अधिनियम, ई.पी.एफ. एक्ट, ई.एस.आई.सी. एक्ट एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का समय–समय पर पालन करे। यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बावत् प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि जुर्माना सहित वसूली सुरक्षा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से कर सके।

(iv) सुरक्षा एजेंसी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नही लेंगे। सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी के इन गतिविधियां में भाग लेने पर उन्हें तत्काल सेवा से पृथक कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा। इन गतिविधियों से महासंघ का कार्य प्रभावित होने पर वास्तविक हानि या राशि रू0 5,000/– (जो भी अधिक हो) की वसूली सुरक्षा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

(v) सुरक्षा एजेंसी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी। ऐसा करने में यदि विफल हुई तो ऐसी प्रत्येक घटना पर राशि रू0 1,000/– की वसूली सुरक्षा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

(vi) सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्ट में **''राउण्ड–द–क्लाक''** की जायेगी तथा एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के संयंत्रों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जवाबदार रहेगी। एजेंसी दुग्ध महासंघ के संयंत्रों परिसर में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश के रोकने, किसी भी प्रकार की चोरी, धोखाधड़ी तथा सम्पत्ति की हुई तोड़–फोड़ से सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि एजेंसी की लापरवाही में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो महासंघ को हुई क्षति की वसूली प्रबंधन द्वारा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

(vii) एजेंसी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा एवं एजेंसी को फैक्ट्री एक्ट, संविदा श्रमिक अधिनियम, ई.पी.एफ. एक्ट, ई.एस.आई.सी. एक्ट एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का समय–समय पर पालन करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित श्रम निरीक्षक/फैक्ट्री इंस्पेक्टर/ई.पी.एफ. निरीक्षक/ई.एस.आई.सी. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे गये रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। यदि एजेंसी इन नियमों के अंतर्गत के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में एजेंसी पेनाल्टी की राशि जमा करने के लिये जवाबदेही है। एजेसीं के द्वारा पेनाल्टी राशि जमा नहीं करने से प्रधान नियोक्ता के नाते प्रबंधन द्वारा एजेंसी पर की गई पेनाल्टी राशि शासकीय खाते में जमा कर दी जायेगी जिसका समायोजन एजेंसी के देयक राशि/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

(viii) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्णतः अनुशासित रहे। एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से दुग्ध महासंघ को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जायेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में प्रबंधन द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेंसी पर की जायेगी। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

(ix) एजेंसी का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न न होने की दशा में एजेंसी के कर्मियों के वेतन भुगतान, ई.पी.एफ. संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर प्रबंधन किसी भी समय बिना कोई नोटिस के ठेका निरस्त कर सकता है एवं इस मद में दुग्ध महासंघ को हुई क्षति की वसूली पूर्ण रूप से अथवा अंशतः एजेंसी के देयक/अमानत राशि से कर सकता है। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(x) संयंत्र परिसर में मंदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना या जुआ खेलना या किसी भी प्रकार की गुनाहित प्रवृत्ति पूर्णतः वर्जित है किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना प्रदर्शन, गैरकानूनी हड़ताल आदि करने पर संबंधित सुरक्षा कर्मी को पारिश्रमिक देय नही होगा तथा ऐसे सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू0 1,000/– प्रति सुरक्षा कर्मी अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली संघ द्वारा ठेकेदार के देयक में से की जा सकेगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जोवगा।

(xi) यदि ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबुझकर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते है तो प्रबंधन पक्ष द्वारा क्षति की राशि का दो गुणा एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि एवं पेनाल्टी का अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त सुरक्षा कर्मी को भविष्य में कार्य पर नही लिया जा सकेगा।

5. <u>भुगतान की शर्तेः–</u>

प्रत्येक माह में, सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयक का वास्तविक रूप से सत्यापन उपरान्त देयक दिनांक से 15 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान किया जावेगा।

6. <u>निविदा में भाग लेने की प्रक्रियाः–</u>

6.1 <u>लिफाफा ''A'' प्रपत्र शुल्क रू. 2,000/–, धरोहर राशि रू. 20,000/– एवं सुरक्षा ठेका के कागजात का लिफाफाः–</u>

(i) प्रपत्र शुल्क धरोहर राशि का डी.डी. एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज एक अलग लिफाफा रखे, जिस पर लिफाफा ''A'' लिखा जाए।

(ii) धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा की जानी होगी। धरोहर राशि जमा न होने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

(iii) धरोहर राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक महासंघ के पास अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

<u>लिफाफा ''**A**'' में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का चेक लिस्ट</u>

क्रं.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
02	धरोहर राशि रू. 20,000/– का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
03	<u>सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज</u>	स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है।
04	जी.एस.टी. जीवित रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति	
05	इनकम टेक्स– **ITR-F.Y.- 2022-23 ,2023-24 & 2024-25**, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति	
06	भविष्य निधि कोड नम्बर प्रमाण–पत्र की छायाप्रति	
07	ई.एस.आई.सी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रमाण–पत्र की छायाप्रति	
08	पसारा प्रमाण–पत्र (जीवित) छायाप्रति	
09	स्थापना के पंजीयन का प्रमाण–पत्र (गुमास्ता) की छायाप्रति	
10	लेबर लायसेन्स (जीवित) की छायाप्रति	
11	सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट राशि रू0 10.00 लाख की	
12	ऑडिट रिपोर्ट एवं आई.टी.आर. की छायाप्रति **ITR-F.Y.- 2022-23 ,2023-24 & 2024-25**	
13	कार्य अनुभव की छायाप्रति	
14	अनुसूची 1 काली सूची में नही होने का शपथ पत्र	रू0 100 के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्रारूप अनुसार मूलतः संलग्न किया जाना है।
15	निविदाकार का संचालक मण्डल/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से निकट संबंध न होने का अनुसूची 2 अनुसार शपथ पत्र	रू0 100 के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्रारूप अनुसार मूलतः संलग्न किया जाना है।

6.2 <u>प्रपत्र ''**B**'' भाव पत्रः–</u>

(i) भाव पत्र/दर निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर द्वारा उपरोक्तानुसार श्रेणी हेतु शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम दरें ही भुगतान की जावेगी जो रिलीवर पर भी लागू होगी। प्रबंधन द्वारा इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। भविष्य में न्यूनतम वेतन की दरों में किसी भी प्रकार वृद्धि होती है तो प्रबंधन द्वारा अनुपातिक रूप से दरों में वृद्धि की जावेगी।

(iii) निविदाकार को केवल सर्विस चार्ज, जो कि मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होगा, ही अंकित भरना है।

(iv) दरें अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जावे। अस्पष्ट होने/अंतर होने पर शब्दों में लिखी दरें मान्य की जावेगी।

<u>लिफाफा ''**B**'' में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट</u>

क्रं.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01	प्रपत्र ''**B**'' भाव पत्र/दर	हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न किया जाना है।
02	बैंक में खाता	बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.3 <u>निविदा खोलने की प्रकिया :–</u>

(i) बड़ा लिफाफा ''**C**'' खोलकर सर्वप्रथम निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं सुरक्षा व्यवस्था निविदा से संबंधित दस्तावेज का लिफाफा ''**A**'' खोला जावेगा।

(ii) लिफाफा ''**A**'' में निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू0 2000/– एवं धरोहर राशि रू0 20,000/– का डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति तथा सुरक्षा व्यवस्था के निविदा से संबंधित दस्तावेज सही होने पर ही लिफाफा ''**B**'' खोला जावेगा।

6.4 <u>निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

(i) उक्त दोनो ''**A**'' और ''**B**'' में बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य बड़े लिफाफे ''**C**'' में बंद कर कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर, नगर घड़ी चौंक रायपुर (छ0ग0), पिन : 492001 को प्रेषित किया जावेगा। **<u>लिफाफा ''C'' में उपर की ओर प्रशासनिक शाखा एवं सुरक्षा हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक होगा।</u>**

(ii) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से रायपुर में दर्ज पते पर निविदाएँ प्राप्त होना आवश्यक है। <u>किसी भी अन्य तरीके/स्थान पर प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।</u>

(iii) निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये।

(iv) किसी भी कारण से निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

(v) उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्ते मान्य नही की जावेगी।

(vi) दरें प्रपत्र ''**B**'' में संलग्न होगी एवं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रारूप में स्वीकृत होगी।

(vii) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करे। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहॉ निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

7. <u>सामान्य नियम एवं शर्ते :–</u>

1– निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जायेगा।

2– केवल वही एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जायेगी जो निम्नानुसार पात्रता रखते हो :–

अ– जिसे औद्योगिक संस्थान में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करे।

ब– जिस एजेंसी के पास ऐसे दो ठेके पूर्व/वर्तमान में संचालित हो जिसकी कीमत 25.00 लाख रूपये अथवा एक ठेका 40.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम न हो इसके समर्थन में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

स– एजेंसी का टर्न ओवर पिछले 03 वर्षो में प्रतिवर्ष न्यूनतम एक करोड़ रूपये होना आवश्यक है, जिसके समर्थन में पिछले 03 वर्षो का (सी.ए. द्वारा प्रमाणित/अंकेक्षित) वित्तीय प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3– बिना अमानत राशि एवं बिना आवश्यक विवरण (जो कि प्रबंधन द्वारा चाहा गया है) की प्राप्त निविदायें निरस्त मानी जायेगी।

4– निविदायें निर्धारित तिथि एवं समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है, परंतु निविदाकारों की उपस्थिति निविदा खोलने की अनिवार्य आवश्यकता नही होगी।

5– आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से निगोशियेशन कर दर एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने का अधिकार प्रबंध संचालक को सुरक्षित होगा। निगोशियेशन की तिथि प्रबंध संचालक की सुविधानुसार निर्धारित की जायेगी।

6– प्रबंध संचालक को किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।

7–यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को प्रबंधन द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत **(EMD)** की राशि प्रबंधन द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

8–निविदा के साथ अमानत की राशि रूपये 20,000/– (अक्षरी राशि बीस हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है। यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। अमानत राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम पर रायपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही मान्य होगी।

9–ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदायें प्रबंधन द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि **(EMD)** निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एक माह के अन्दर ही लौटाई जा सकेगी।

10–निविदाकर्ता को इन्कम टेक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट या आयकर निर्धारण प्रमाण की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11–निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि यदि चाहे तो निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से दुग्ध महासंघ के उरला बी.एम.वाय., चरोदा जिला– दुर्ग के संयंत्र के प्रशासनिक भवन में आकर वे वर्तमान सुरक्षा पद्वति एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकते है।

12–प्रबंध को यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त कार्य हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेंन्सियों को आबंटित करे।

13–समस्त निविदाएं अथवा किसी भी निविदा को ग्राह्य अथवा अग्राह्य करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला बी.एम.वाय., चरोदा जिला– दुर्ग के पास सुरक्षित होगा तथा किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भी प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार मान्य नही हेगा।

14–निविदाकारों से अपेक्षा है कि वे वर्तमान/अथवा पूर्व में (विगत तीन वर्ष की अवधि) लिए गये सुरक्षा ठेके बावत् विवरण (जहां कार्यरत रहे हो, एजेंसी/संस्था के नाम सहित) प्रस्तुत करे।

15–Solvancy Certificate (Minimum 10 Lac) जमा करना होगा।

16–पूर्व में जो निविदाकार दुग्ध महांसघ में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य कर चुके है एवं इनके कार्यकाल में यदि उनके कार्यकलापों के विरूद्ध प्रबंधन को शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ऐसे निविदाकार अस्वीकृत कर दी जावेगी एवं इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

8. निविदा प्राप्त होने पर जमा करने वाले दस्तावेजों की सूची :–

(i) अनुबंध
(ii) संयंत्रों में कार्य हेतु रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मियों की सूची (संयंत्र वार)
(iii) लेबर लायसेंस (20 दिवस के भीतर)।
(iv) सुरक्षा कर्मियों की ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. रजिस्ट्रेशन छायाप्रति।
(v) सुरक्षा कर्मियों की पहचान पत्र एवं कार्य पर रखने का नियुक्ति पत्र की छायाप्रति।
(vi) सुरक्षा कर्मियों की पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र (06 माह के उपर न हो)।
(vii) सुरक्षा कर्मियों की आधार कार्ड की छायाप्रति।

9. अनुबंध :–

(viii) निविदा स्वीकृत आदेश प्राप्त होने पर सुरक्षा व्यवस्था प्रारंभ होने से पूर्व निविदाकार को संलग्न प्रारूप अनुसार रू0 500/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ix) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को समय–समय पर अनुबंध की शर्तों के परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा, जिसे सुरक्षा ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा।

10. सीमांकन क्षेत्र :–

(i) किसी भी/समस्त निविदाओं को आंशिक/संपूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।

(ii) निविदाकर्ता तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध के नियम एवं शर्ते दोनो पक्षों को मान्य होगी। मतभेद की स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

11. <u>न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों के निपटारे के लिए **न्यायिक कार्यक्षेत्र रायपुर (छ0ग0)** होगा।

12. <u>घोषणा :–</u> निविदाकार द्वारा निविदा भरा जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्ते, अनुबंध की कंडिकाए आदि) का भली भांति अध्ययन कर समझ लिया है एवं कोई भी तथ्य/कंडिका समझ न आने पर कार्यालय से उस पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा वह महासंघ की निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तो एवं अनुबंध की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य करने पर सहमत है। निविदा भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नही होगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

प्रपत्र–B

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1432 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः–18 / 07 / 2025

।। सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।।

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,
उरला, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

विषयः– सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की दरें।
सन्दर्भः– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा समाचार पत्र ''....................'' के दिनांक .... में प्रकाशित निविदा सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा ठेका निविदा– ''..........................'' समाचार पत्र दिनांक .... में प्रकाशित की गई है। उपरोक्त के संबंध में, मै निवेदन करता हूॅ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित सुरक्षा ठेके की शर्तो के अनुसार सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूॅ। मै एतद् द्वारा अमानत राशि रू0 20,000 / – (अक्षरी राशि बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..दिनांक............................ जो कि ....बैंक का है, संलग्न कर रहा हूॅ।

मेरी वर्तमान जानकारी तथा संबंधित क्षेत्र एवं कार्य के निम्न विवरणानुसार अनुभव है :–

1– निविदाकार का पूरा नाम ....
2– पिता / पति का नाम ....
3– वर्तमान पता ....
....
4– स्थायी पता ....
....
5– यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम एवं पता यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो पंजीयन प्रमाण पत्र एवं भागीता पत्र की प्रति संलग्न की जाये। यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नही है तो भागीता पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये। ....
....
....
....
....
....
....
....
6– पूर्व कार्यों के अनुभव का विवरण संबंधित संस्थान के नाम व पते परफारमेन्स लेटर एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें। ....
....
....
7– वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी आपके ठेकेदारी में कार्यरत है ....
....

8– वर्तमान में जहॉ कार्य कर रहा है ....
उस संस्थान का नाम व पता ....
(समर्थन में वर्क आर्डर की प्रति ....
संलग्न की जावे)

9– सुरक्षा ठेके संबंधी लायसेन्स ....
क विवरण (लायसेन्स के प्रमाण पत्र ....
की छायाप्रति संलग्न की जावे) ....

10– जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
की छायाप्रति संलग्न की जावे। ....

11– इनकम टेक्स, पैन नम्बर की ....
छायाप्रति संलग्न की जावे। ....

12– ई.एस.आई.सी. कोड की छायाप्रति ....
संलग्न की जावे। ....

13– भविष्य निधि कोड की नम्बर ....
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे) ....

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

।। निविदा हेतु दरें।।

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदाकार द्वारा दी गई दरें

(लिफाफे 'C' में सील बंद कर रखा जावे)

कमांक	सर्विस चार्ज प्रतिशत अंको में	सर्विस चार्ज प्रतिशत शब्दों में
1.		

क्र.	विवरण	श्रेणी	वर्तमान दर उरला संयंत्र (01–04–2025 से प्रभावशील)	वर्तमान दर बिलासपुर संयंत्र (01–04–2025 से प्रभावशील)	वर्तमान दर जगदलपुर संयंत्र (01–04–2025 से प्रभावशील)
1	सुरक्षा अधिकारी	कुशल	485 / – प्रति दिवस	475 / – प्रति दिवस	475 / – प्रति दिवस
2	सुरक्षा पर्यवेक्षक	अर्द्ध कुशल	455 / – प्रति दिवस	445 / – प्रति दिवस	445 / – प्रति दिवस
3	सुरक्षा गार्ड	अकुशल	430 / – प्रति दिवस	420 / – प्रति दिवस	420 / – प्रति दिवस

नोट :–

1– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर द्वारा उपरोक्तानुसार श्रेणी हेतु शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम दरें ही भुगतान की जावेगी जो रिलीवर पर भी लागू होगी। प्रबंधन द्वारा इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। **निविदाकर्ता को केवल सर्विस चार्ज अंकित करना है।** भविष्य में न्यूनतम वेतन की दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो प्रबंधन द्वारा अनुपातिक रूप से दरों में वृद्धि की जावेगी।

2– सेवा शुल्क 0 प्रतिशत या इसके समकक्ष होने पर निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।

3– अनुबंध की शर्ते की कंडिका कमांक – 13 का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

।। सुरक्षा व्यवस्था अनुबंध की शर्ते।।

सुरक्षा व्यवस्था निविदा क्रमांक ..../छगदुमसं/प्रशासन/2025 उरला, दिनांक .... यह अनुबंध प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकार दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला, जिला–दुर्ग (छ0ग0) अथवा उसके उत्तरवर्ती अधिकारी जिसे भविष्य में अन्य किसी पद नाम से संबोधित किया जावे, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है एवं द्वितीय पक्ष .... आगे सुरक्षा एजेंसी कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया जो कि इस बात की साक्षी है कि .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य दुग्ध संयंत्र, उरला (दुर्ग), दुग्ध संयंत्र, कोनी (बिलासपुर) एवं दुग्ध संयंत्र, बाबू सेमरा (जगदलपुर) की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार दरें दी गई जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकार दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य की गई है।

अनुबंध अवधि में स्वीकृत दर प्रतिदिन/प्रति सुरक्षा कर्मी/अन्य दरें

क्र.	पद	पारिश्रमिक (दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर) (न्यूनतम मजदूरी)
1–	सुरक्षा अधिकारी	– मिनिमम वेजेस (कुशल) छत्तीसगढ़ शासन अनुसार
2–	सुरक्षा पर्यवेक्षक	– मिनिमम वेजेस (अर्द्ध कुशल) छत्तीसगढ़ शासन अनुसार
3–	सुरक्षा गार्ड	– मिनिमम वेजेस (अकुशल) छत्तीसगढ़ शासन अनुसार
4–	सर्विस चार्ज	– .... प्रतिशत
5–	ई.पी.एफ. अंशदान	– 13 प्रतिशत (कर्मचारी भविष्य निधि नियम अनुसार)
6–	ई.एस.आई.सी. अंशदान	– 3.25 प्रतिशत (कर्मचारी राज्य बीमा निगम नियम अनुसार)
7–	जी.एस.टी.	– भारत सरकार के नियमानुसार

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर द्वारा उपरोक्तानुसार श्रेणी हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम दरें ही भुगतान की जावेगी जो रिलीवर पर भी लागू होगी। यदि उपरोक्त वेतन में किसी भी प्रकार का संशोधन श्रम विभाग/शासन द्वारा उपरोक्त दिनांक के पश्चात किया जाता है तो अनुपातिक रूप से पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की जावेगी, किन्तु सर्विस चार्ज यथावत रहेंगे।

1– सुरक्षा ठेका 01 वर्ष –कार्य आदेश जारी दिनांक से, की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा। प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार इन्ही स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

2– सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य दुग्ध संयंत्र–उरला (दुर्ग), दुग्ध संयंत्र–कोनी (बिलासपुर) एवं दुग्ध संयंत्र–बाबू सेमरा (जगदलपुर) के भवन, गोडाउन, कार्यालयीन सम्पत्ति एवं परिसर की दिन–रात राउण्ड–द–क्लाक सुरक्षा व्यवस्था करेगा।

3– सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार राउड–द–क्लाक की जावेगी एवं संभावित होने वाली चोरी, नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अविलम्ब प्रशासन शाखा को दी जायेगी। प्रकरण में प्रबंध संचालक द्वारा नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जांच की जायेगी। जांच उपरांत प्रशासन शाखा के उत्तरदायी पाने पर दुग्ध महासंघ को जो क्षति हुई है, उसकी वसूली एजेंसी के देयक से की जायेगी। केन/क्रेट के संबंध में पृथक से कंडिका में विवरण प्रदर्शित है।

4– अ– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुख्य दुग्ध संयंत्र–उरला (दुर्ग), दुग्ध संयंत्र–कोनी (बिलासपुर) एवं दुग्ध संयंत्र–बाबू सेमरा (जगदलपुर) में केन/क्रेट्स की चोरी न हो, इस हेतु प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को उत्पादन शाखा, मार्केटिंग एवं सुरक्षा अधिकारी, इस प्रकार इन व्यक्तियों की कमेटी रहेगी जो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को दुग्ध संयंत्र–उरला (दुर्ग), दुग्ध संयंत्र–कोनी (बिलासपुर) एवं दुग्ध संयंत्र–बाबू सेमरा (जगदलपुर) में केन/क्रेट्स का भौतिक सत्यापन करेगी। इसी प्रकार केन/क्रेट्स में जो कमी पायी जाती है उसकी वसूली सुरक्षा एजेंसी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी। इसी प्रकार अन्य सामग्री की क्षति होती है उसकी वसूली भी सुरक्षा एजेंसी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

ब— दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति विशेष रूप से केन/क्रेट की चोरी न हो, इस हेतु वाहन ठेकेदार के प्लांट में प्रवेश के समय सुरक्षा एजेंसी के द्वारा वाहन में लाये जाने वाले खाली/भरे केन/क्रेट/अन्य सामग्री की वाहन की जांच कर गणना की जायेगी जिसकी प्रविष्टि संबंधित रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा कर्मी द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार वाहन प्लांट से बाहर जाते समय खाली/भरे केन/क्रेटस का गिनती कर सुरक्षा कर्मियों द्वारा रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी।

स— इस संबंध में प्रबंधन द्वारा यदि यह जानकारी मांगी जाती है तो सुरक्षा एजेंसी गेट पर रखे रिकार्ड की जांच कर प्रबंधन को प्रस्तुत करेगी।

5— सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी द्वारा समस्त प्रकार की सामग्री को बाहर जाने एवं अन्दर आने तथा सभी वाहनों के बाहर जाने एवं अन्दर आने, समस्त व्यक्तियों/कर्मचारियों को अन्दर एवं बाहर जाने का रिकार्ड रखा जायेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

6— सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से अपने अधीनस्थ समस्त सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटैक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध करायेगी जिसमें सुरक्षा कर्मियों के कार्यकाल अवधि का उल्लेख होना अनिवार्य होगा ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। अतः सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटैक्टिव गारमेंट देने का खर्च एजेंसी द्वारा किया जायेगा, जिसका कटौत्रा सुरक्षा कर्मी के वेतन से नहीं किया जावेगा।

7— सुरक्षा एजेंसी, प्रबंधन के निर्देशानुसार जरूरत पड़ने पर गनमैन सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जिस हेतु पृथक से निर्धारित दर से भुगतान देय होगा।

8— सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर पत्रक रखे जायेंगें जो कि प्रबंधन या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9— सुरक्षा एजेंसी द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख—रखाव सुनिश्चित करना होगा एवं उनका समय—समय पर निरीक्षण करना होगा ताकि ऐसी घटनाये घटित होने पर त्वरितगति से काबू पाया जा सके।

10— सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि भंडार एवं संयंत्र के अन्दर या बाहर रखी गई सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा इसकी लिखित सूचना प्रबंधन को दी जावेगी।

11— सुरक्षा एजेंसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निशिद्ध व्यक्ति/जानवर परिसर में प्रवेश न कर सके।

12— सुरक्षा एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखे एवं कर्मचारियों, बाहरी तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके।

13— सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों की उपस्थिति प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करवाकर, बैंक के माध्यम से प्रत्येक माह की 07 तारीख या उससे पहले वेतन भुगतान कर, 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ सुरक्षा एजेंसी कर्मियों को बैंक के माध्यम से भुगतान किये गये बैंक स्लिप, उपस्थिति रजिस्टर सत्यापित तथा कर्मियों के वेतन से काटी गई 12 प्रतिशत भविष्य निधि राशि एवं ई.एस.आई.सी. राशि 0.75 प्रतिशत की जानकारी के साथ भविष्य निधि/ई.एस.आई.सी. कार्यालय में जमा की गई राशि का कर्मचारी वार प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु जमा चालान की प्रति ई.सी.आर. फाईल/ई.एस.आई.सी. अंशदान सूची की साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा संस्था में नियोजित सुरक्षा कर्मियों की भविष्य निधि/ई.एस.आई.सी. पृथक से जमा करना अनिवार्य है साथ ही देयक के साथ सुरक्षा एजेंसी द्वारा जमा की गई छायाप्रति का मूल प्रति से सत्यापन करवाना आवश्यक होगा अन्यथा देयक अपूर्ण माना जायेगा एवं उस पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी। जी.एस.टी. का भुगतान दुग्ध महासंघ द्वारा किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये सही देयक प्राप्त होने के दिनांक से 15 कार्य दिवस के भीतर भुगतान ठेकेदार को चेक/बैंक ट्रांसफर द्वारा किया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रबंधन द्वारा उक्त कर्मी को सीधे भुगतान कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार से उक्त राशि की वसूली राशि रू0 5,000/— अर्थदण्ड के साथ प्रतिकर्मी प्रतिमाह की जावेगी। इसी प्रकार श्रम नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में प्रबंधन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

14— दोनो पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परंतु सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के सुरक्षा ठेका निरस्त कर दे एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ले, अथवा विवेकानुसार शास्ती/क्षतिपूर्ति की वसूली कर ले। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

15— सुरक्षा एजेंसी को कार्य हेतु प्रबंधन उचित स्थान उपलब्ध करायेगा। बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा।

16— ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कर्मचारियों अथवा उनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में कार्य पर नही ले सकेगी।

17– सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबंधन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर प्रबंधन द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेंसी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जायेगा।

18– सुरक्षा एजेंसी को यह अधिकार होगा कि वह गेट से आने–जाने वाले वाहनों, प्रबंधन के कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं दुग्ध महासंघ परिसर में भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती है।

19– सुरक्षा एजेंसी का उत्तदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे– फैक्ट्री एक्ट, संविदा श्रमिक अधिनियम, ई.पी.एफ. एक्ट, ई.एस.आई.सी. एक्ट एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का समय–समय पर पालन करना अनिवार्य रहेगा। यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि का सुरक्षा एजेंसी को किये जाने वाले/किये गये भुगतान राशि का समायोजन सुरक्षा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से सके।

20– सुरक्षा एजेंसी को प्रतिभूति राशि अंको में 3,00,000/– (अक्षरी राशि तीन लाख मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि में निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि समायोजित की जायेगी। प्रतिभूति राशि एजेंसी को ठेका समाप्त होने पर, संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, एजेंसी के कालावधि के दौरान एजेंसी के कार्यों से संघ को हुई क्षति की वसूली किये जाने के उपरांत यदि शेष हो तो एजेंसी को लौटायी जायेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

21– सुरक्षा एजेंसी कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हताएं निर्धारित की जाती है :–

अ– <u>सुरक्षा अधिकारी</u>– औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा पर्यवेक्षक का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा लिखने–पढ़ने सक्षम हो।

ब– <u>सुरक्षा पर्यवेक्षक</u>–औद्योगिक सुरक्षा का पर्यवेक्षक या समकक्ष कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा लिखने–पढ़ने सक्षम हो।

स– <u>सुरक्षा गार्ड</u>–औद्योगिक सुरक्षा कर्मी के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव अथवा प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा लिखने–पढ़ने सक्षम हो। उपरोक्त सभी श्रेणी हेतु एक्स सर्विसमेन को प्राथमिकता दी जावेगी।

22– सुरक्षा एजेंसी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नही लेंगे। सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी के इन गतिविधियों में भाग लेने पर उन्हें तत्काल सेवा से पृथक कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा। इन गतिविधियों से महासंघ का कार्य प्रभावित होने पर वास्तविक हानि या रू0 5,000/– (जो भी अधिक हो) की वसूली सुरक्षा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

23– प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों एवं कार्यों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसी उत्तरदायी होगी।

24– प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय–समय पर निर्देश दिया जावेगा जिसका सुरक्षा एजेंसी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।

25– सुरक्षा एजेंसी प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाईम, आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

26– सुरक्षा एजेंसी को संविदा श्रमिक अधिनियम–1970 के अंतर्गत श्रम विभाग से लायसेन्स प्राप्त कर प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा।

27– सुरक्षा एजेंसी प्रबंधन के निर्देशानुसार डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

28– प्रबंधन किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेंसी को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नही करावेगा। सुरक्षा एजेंसी स्वयं लिपिकीय व्यवस्था करेगी।

29– सुरक्षा एजेंसी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रबंधन को प्रतिभूति राशि रू0 03 लाख राजसात करते हुए सुरक्षा ठेके का निरस्त करने का अधिकार होगा।

30– प्रबंधन को अनुबंध की शर्तो को संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई शर्तो को जोड़ने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना सुरक्षा एजेंसी को दी जावेगी।

31– सुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।

32– परिसर में धूम्रपान/मंदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना रू. 1000/– प्रत्येक घटना पर देयक से कटौत्रा करने का अधिकार होगा।

33– सुरक्षा एजेंसी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। ऐसा करने में यदि विफल हुई तो ऐसी प्रत्येक घटना पर रू0 1,000/– की वसूली सुरक्षा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

34– सुरक्षा एजेसी द्वारा किसी कारणवश सुरक्षा कर्मियों को बदला जाता है तो उसकी सूचना प्रबंधन को तत्काल सूचित किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही नियोजित नये सुरक्षा कर्मी की सूचना भी प्रबंधन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

35– एजेंसी द्वारा निम्नानुसार संख्या में सुरक्षा कर्मी नियोजित किये जाएंगे। प्रबंधन द्वारा कार्यों का मूल्यांकन न कर स्व–विवेक से संख्या में कटौत्री/बढ़ोती की जा सकेगी।

दुग्ध संयंत्र– उरला (दुर्ग), दुग्ध संयंत्र–कोनी (बिलासपुर) एवं दुग्ध संयंत्र–बाबू सेमरा (जगदलपुर)

क्रमांक	सुरक्षा कर्मी का विवरण एवं पद	दुग्ध संयंत्र, उरला	दुग्ध संयंत्र, बिलासपुर	दुग्ध संयंत्र, जगदलपुर	कुल
1	सुरक्षा अधिकारी	01	0	0	01
2	सुरक्षा पर्यवेक्षक	01	01	0	02
3	सुरक्षा गार्ड (महिला)	01	0	0	01
4	सुरक्षा गार्ड (पुरूष)	17	04	03	24
	कुल संख्या	**20**	**05**	**03**	**28**

36–अ– सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्ट में ''**राउण्ड–द–क्लाक**'' की जायेगी तथा एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के संयंत्रों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जवाबदार रहेगी। एजेंसी दुग्ध महासंघ परिसर में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश के रोकने, किसी भी प्रकार की चोरी, धोखाधड़ी तथा सम्पत्ति की तोड़–फोड़ से सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि एजेंसी की लापरवाही से ऐसी कोई घटना घटित होती है तो संघ को हुई क्षति की वसूली प्रबंधन द्वारा एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

ब– प्रबंधन द्वारा दिये गये समय–सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा।

स– इसी प्रकार दुग्ध महासंघ/संयंत्र परिसरों में आने–जाने वाले प्रत्येक सामान, वाहन तथा व्यक्तियों की प्रविष्टि एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर में रखी जायेगी। रिकार्ड रखने हेतु प्रबंधन द्वारा एजेंसी को उपयुक्त स्थान एवं स्टेशनरी इत्यादि प्रदाय की जायेगी एवं एजेंसी द्वारा रखा जाने वाला रिकार्ड छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की सम्पत्ति रहेगी। जिसे ठेका समाप्ति के पश्चात समस्त रिकार्ड की सूची तैयार कर प्रशासन शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।

द– एजेंसी द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को यूनिफार्म, जूते, रेनकोट इत्यादि आवश्यक रूप से प्रदान की जायेगी जिसका भुगतान एजेंसी द्वारा ही किया जायेगा। अतः सुरक्षा कर्मचारियों को यूनिफार्म, जूते, रेनकोट इत्यादि देने का खर्च एजेंसी द्वारा किया जायेगा, जिसका कटौत्रा सुरक्षा कर्मी के वेतन से नहीं किया जावेगा। सुरक्षा कर्मी अपने ड्यूटी के समय यूनिफार्म/वर्दी में न पाये जाने पर उन्हे अनुपस्थित माना जायेगा।

37– एजेंसी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लायसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा एवं एजेंसी को कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट, ई.पी.एफ. एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ई.एस.आई.सी. एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू हाने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित श्रम निरीक्षक/फैक्ट्री इंस्पेक्टर/ई.पी.एफ. निरीक्षक/ई.एस.आई.सी. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे गये रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। यदि एजेंसी इन नियमों के अंतर्गत के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में प्रधान नियोक्ता होने के नाते प्रबंधन द्वारा एजेंसी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जायेगी जिसका एजेंसी के देयक राशि/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

38–अ– एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्णतः अनुशासित रहे। एजेंसी के कर्मचारियों के लापरवाही से दुग्ध महासंघ को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जायेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में प्रबंध द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेंसी पर की जायेगी। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

ब– एजेंसी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लगातार लापरवाही पूर्वक कार्य किये जाने पर प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

39– किसी भी सुरक्षा कर्मी द्वारा उपरोक्त शर्तों की किसी कंडिका का उल्लंघन का दोषी पाया गया तो तत्काल संयंत्र परिसर में उसका प्रवेश दुग्ध महासंघ द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा जो एजेंसी पर बंधनकारी होगा।

40– संयंत्रों एवं सम्पूर्ण परिसर में चोरी, उपद्रव, मारपीट, झगड़ा आदि कार्य किये जाने की दशा में तत्काल प्रबंधन से सम्पर्क कर पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराना एजेंसी का दायित्व होगा।

41– यदि उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार रायपुर (छ0ग0) होगा।

42– एजेंसी का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न न होने की दशा में, एजेंसी के कर्मियों के वेतन भुगतान, ई.पी.एफ. संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर प्रबंधन किसी भी समय बिना कोई नोटिस के ठेका निरस्त कर सकता है एवं इस मद में दुग्ध महासंघ को हुई क्षति की वसूली पूर्ण रूप से अथवा अंशतः एजेंसी के देयक/अमानत राशि से कर सकता है। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

43– संयंत्र परिसर में मंदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित सुरक्षा कर्मी को पारिश्रमिक देय नही होगा तथा ऐसे सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध रू0 1,000/– प्रति सुरक्षा कर्मी अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली संघ द्वारा ठेकेदार के देयक मे से की जा सकेगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा।

44– यदि ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबुझकर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते है तो प्रबंधन पक्ष द्वारा क्षति की राशि का दो गुणा एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि एवं पेनाल्टी का अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त सुरक्षा कर्मी को भविष्य में कार्य पर नही लिया जा सकेगा।

==

अनुसूची–1

(रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे)

शपथ पत्र

मैं.. आयु .... पिता/पति श्री .... निवासी............ .... मो0 नम्बर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि :–

1. मै उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूॅ।
2. मै छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा कमांक ..../छगदुमसं/प्रशासन/2025 उरला, दिनांक .... के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुये, सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुझे किसी भी कारण से कभी भी अपनी निविदाओं में भागीदारी से रोकने हेतु काली सूची में नही डाला गया है।
4. मुझे यह ज्ञात है कि भविष्य में पाया गया कि मुझे कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा काली सूची में डाला गया है, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारम्भ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
5. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा कमांक ..../छगदुमसं/प्रशासन/2025 उरला, दिनांक .... के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

सत्यापन :

मैं .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि इस शपथ पत्र की कंडिका कमांक 1 से 5 तक सम्पूर्ण कथन मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

(1) हस्ताक्षर : ....
नाम : ....
पता : ....
....
आधार कमांक..
मो0 नम्बर : ....

(2) हस्ताक्षर : ....
नाम : ....
पता : ....
....
आधार कमांक..
मो0 नम्बर : ....

अनुसूची–2

(रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे)

शपथ पत्र

मैं.. आयु .... पिता/पति श्री .... निवासी........... .... मो0 नम्बर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. मै उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूँ।
2. मै छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा क्रमांक ..../छगदुमसं/प्रशासन/2025 उरला, दिनांक .... के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुये, सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत नही है।
4. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में माननीय प्रबंध समिति के सदस्य नही है।
5. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मेरे कोई निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत है, या इसके माननीय प्रबंध समिति के सदस्य है, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारम्भ होने के बाद भी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने साथ निरस्त की जा सकती है।
6. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक ..../छगदुमसं/प्रशासन/2025 उरला, दिनांक .... के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

सत्यापन :

मैं .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 6 तक सम्पूर्ण कथन मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

(1) हस्ताक्षर : ....
नाम : ....
पता : ....
....
आधार क्रमांक...
मो0 नम्बर : ....

(2) हस्ताक्षर : ....
नाम : ....
पता : ....
....
आधार क्रमांक...
मो0 नम्बर : ....